कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अखिल एण्ड कम्पनी, 129 / 6, शास्त्री नगर, मेरठ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**043 / 14, 09.09.2014**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री अखिल एण्ड कम्पनी, 129 / 6, शास्त्री नगर, मेरठ द्वारा दिनांक 09.09.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा पुराने (प्रयोग किये गये) जनरेटर सेट पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 04.10.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ के पत्र संख्या-1386, दिनांक 29.10.2014 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा पत्रावली में दाखिल रूपपत्र-24 एवं अनुलग्नक-ए में ओल्ड जनरेटर सेट की खरीद घोषित की गयी है। रूपपत्र-24 के क्रम संख्या-10 में कम्पयूटेशन आफ टैक्स वन सेल में रेट आफ टैक्स / कमोडिटी में Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, Stores or vehicles including waste products की बिक्री घोषित की गयी है। अनुलग्नक-ए में घोषित पुराना जनरेटर सेट पर 14% की दर से कर का भुगतान करते हुए टैक्स इनवाइस के विरूद्ध खरीद दिखायी गयी है। व्यापारी का यह कथन है कि पुराना प्रयुक्त किया गया जनरेटर (भले ही वह चालू हालत में हो अथवा न हो) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की श्रेणी पर 4% + अतिरिक्त कर देय है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री सरीन एण्ड सरीन, आगरा बनाम कमिश्नर, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश जो वी0एल0जे0-2014 (वाल्यूम-25) पेज-181 को सन्दर्भित करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत Entry-29 में उल्लिखित वस्तु तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क के क्रमांक-51 पर उत्ल्लिखित वस्तु (Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, Stores or vehicles including waste products) एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत Entry-29 में उल्लिखित वस्तु (Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, Stores or vehicles including waste products) को समान मानते हुए पुराने जनरेटर सेट पर कर की दर सरचार्ज सहित 5% है।

व्यापारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क में (Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, Stores or vehicles

....2

including waste products) (पुराना, व्यर्थ, अनुपयोगी, बेकार मशीनरी स्टोर्स एण्ड वैहिकिल्स, उच्छिष्ट उत्पाद सहित) {Sch.II-A-Entry51} (Code: 2A051001) Notifi. No. 67 dt. 10.01.2008 and Notifi. No. 570A dated 04.03.2008 from 01.01.2008 से तथा दिनांक 19.02.2010 से सरचार्ज सहित 5% (Old, discarded, unserviceable or obsolete machinery, Stores or vehicles including waste products) का प्राविधान किया गया तथा Obsolete machinery (बेकार मशीनरी) {Sch.II-A-Entry51 } (Code: 2A051001) 4% from 01.01.2008 Additional Tax 0.5% w.e.f. 01.06.2009 to 18.02.2010 and 1% w.e.f. 19.02.2010

इस प्रकार व्यापारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री सरीन एण्ड सरीन, आगरा के वाद में दिये गये न्यायिक निर्णय प्रश्नगत वाद में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री रेनबो स्टील लि0 वर्ष 1981 U.P.T.C.-400 निर्णय दिनांक 30.01.1981 में निम्न प्रकार निर्णय दिया गया :-

The four adjective which are susceptible to analogous meaning are clubbed together while qualifying ‘ machinery ’ in the Entry. Secondly, it cannot be disputed that the first adjective ‘ old ’ is clearly more general than the other three and as such all the four would take their colour from each other, the meaning of the more general adjective ‘ old ’ being restricted to a sense analogous to that of the less general, namely discarded, unserviceable or obsolete.

All the four adjective which qualify the word ‘ machinery ’ have been used disjunctively but it is precisely for that reason that the adjective ‘ old ’ becomes vague, imprcise and ambiguous, being too general. The adjective ‘ old ’ by itself is certainly vague, imprecise and ambiguous for there is no indication as to how much old the machinery should be before it could be described as ‘ old ’ machinery.

When the expression ‘ old ’ is by itself vague, imprecise and ambiguous being too general, the principle of noscitur a socitis will have to be applied i.e., all the associated words will take colour from each other. the meaning of the more general adjective viz, ‘ old ’ being restricted to a sense analogous to the less general adjective discarded, unserviceable or obsolete.

In order to fall within the expression ‘ old machinery ’ occurring in the Entry, the machinery must be old machinery in the sense that it has become non-functional or nonusable.

प्रतिपादित इस न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर ओल्ड जनरेटर सेट Better Functioned or usable होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री रेनबो स्टील लि0 के वाद में दिये गये निर्णय अन्तिम रूप सें विधिमान्य है। अत: पुराना जनरेटर Better Fucnctioned or usable होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेय है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ की आख्या से

....3

सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष हेतु मासिक रिटर्नों के साथ दाखिल अनुलग्नक-ए में घोषित पुराना जनरेटर सेट पर 14% की दर से कर का भुगतान करके टैक्स इनवायस के विरूद्ध खरीद दिखायी गयी है जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। चूँकि प्रश्नगत प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष हेतु मासिक रिटर्नों के साथ दाखिल अनुलग्नक-ए में घोषित पुराना जनरेटर सेट पर 14% की दर से कर का भुगतान करके टैक्स इनवायस के विरूद्ध खरीद दिखायी गयी है जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी द्वारा संगत वर्ष हेतु दाखिल रिटर्नों में पुराना जनरेटर सेट पर कर का भुगतान करते हुए कर विवरणी दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।